न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)आजमगढ़।

सक्सेन प्रकीर्ण वाद सं० ०१/१७ (संबधित सक्सेसन वाद सं० ३३५/१५)

मोहम्मद सोएब आदि --बनाम--सैयदा खातून आदि

२२-०५-२०१९

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष को दिनांक २१-०५-२०१९ को प्रार्थनापत्र ४ग२ पर विस्तारपूर्वक सुना जा चुका है।

प्रार्थनापत्र ४ग२ मोहम्मद सेाएब,हेना,मोना तथा सबीना की ओर से सैयदा खातून,मु०सैफ,सना तथा शमा के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा एक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हेतु न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसमें आवेदक सं०१ को विपक्षी सं०१ बनाया गया। विपक्षी सं०१ सैयदा खातून मृतक शमसेर बहादुर की पत्नी है मृतक शमसेर बहादुर के दो विवाह हुये थे। विपक्षी सं०१ सैयदा खातून मृतक शमसेर बहादुर की दूसरी पत्नी है जिनके नुत्फे से विपक्षी नंबर २ ता ४ पैदा हुये। मृतक शमसेर बहादुर की पहली पत्नी सरवरी खातून है। मूल सक्सेसन की कार्यवाही में आवेदक सं० १ ता ४ पर गलत तरीके से सम्मन व अखबार की पैरवी करा दिया गया और धोखा देकर तामीला करा लिया गया वास्तविकता यह है कि दिनांक ०९-०१-२०१५ को आवेदक सं०१ सोएब विदेश चला गया था और दिनांक ०५-१०-१६ को विदेश से वापस आया उसको प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि प्रकाशन स्थानीय अखबार में कराया गया था जिस कारण से आवेदकगण को मुकदमें की जानकारी नहीं हो सकी । आवेदक सं०१ की माँ आवश्यक पक्षकार हैं। सायल सं० २ ता ४ विपक्षी नंबर १ की शादी शुदा बहने है जो अपने ससुराल में रहती हैं। विपक्षीगण इसका फायदा उठाकर सायलान सं० १ ता ४ की माँ का हक हिस्सा हड़पने के लिये उनको बिना आवश्यक पक्षकार बनाये उपरेाक्त मुतफर्का सक्सेसन प्रार्थनापत्र दाखिल कर दिनांक १०-०९-१६ को आदेश बिना विपक्षीगण को सुने अपने हक में पारित करवा लिया है और निवेदन किया है कि आदेश दिनांक १०-०९-१६रिकाल कर लिया जाय और प्रार्थनापत्र का निस्तारण गुणदोष पर कर लिया जाय । आवेदनपत्र शपथपत्र ५ग२ से समर्थित है।

आवेदनपत्र पर सैयदा खातून की तरफ से आपत्ति ८ग२ प्रस्तुत की गयी । अपनी आपत्ति में मुख्य रूप से कहा कि प्रार्थनापत्र विधि के विपरीत है। मूल सक्सेसन वाद सं० ३३५/१५ कदापि गलत तथ्यों पर नहीं दी गयी है बल्कि सही व जायज तौर पर विपक्षीगण के हक व हिस्सा को मानते हुये सक्सेन प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया । आवेदकगण को प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी थी और वह घर पर ही मौजूद था जानबूझकर उसने कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया । पैरा -६ में विपक्षी द्वारा आगे कहा गया है कि शमसेर बहादुर की पहली शादी सरवरी खातून जो सायलान की मां है से हुई थी जिन्हे शमसेर बहादुर खान ने दिनांक १४-०१-९२ को तलाक देकर अपनी जौजियत से खारिज कर दिया ।उसके पश्चात् अपनी दूसरी शादी सैयदा खातून विपक्षी नंबर १ से किया जिससे विपक्षी नंबर २ ता ४ पैदा हुये तलाक के बाद सरवरी खातून ने अपनी नाबालिग बच्ची की वली बनकर उसके भरण पोषण

का वाद मुन्सिफ मजिस्ट्रेट आजमगढ़ में मुकदमा नंबर ९८/९३ सबीना बनाम शमसेर बहादुर दाखिल किया था जो सुनवाई के उपरान्त दिनांक १५–०९–९७ को निर्णीत हुआ जिसकी आवेदकगण को पूरी जानकारी है। चूंकि सरवरी खातून का शमसेर बहादुर से तलाक हेा गया था इसलिये सरवरी खातून ने प्रार्थनापत्र न प्रस्तुत करके आवेदकगण से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कराया है । अतः प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा सूची ९ग१व सूची १७ग से अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं जो कि न्यायालय के आदेशों की सत्य प्रतिलिपियाँ हैं।

मूल सक्सेन प्रार्थनापत्र सं० ३३५/१५ व आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि सरवरी खातून को छोड़कर शेष सभी पक्षकार मूल सक्सेन प्रार्थनापत्र में पक्षकार बनाये गये हैं और उनके शेयर के अनुसार उनका हिस्सा जरिये आदेश दिनांक १०–०९–२०१६ प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में मो० सोएब आवेदक सं०१ के कथन पर बल नहीं है कि उसे नहीं सुना गया यदि उसे सुना भी जाता तो भी न्यायालय द्वारा उसे वही शेयर प्रदान किया जाता जो आदेश दिनांकित १०–०९–१६ द्वारा दिया गया । आवेदक सं०१ मो०सोएब द्वारा कोई ऐसा कथन नहीं किया गया है जिससे सक्सेसन प्रार्थनापत्र के पक्षकारों के हिस्से में परिवर्तन होता हो केवल उसके द्वारा वही कथन किया गया है कि उसकी माँ सरवरी खातून का हिस्सा नहीं दिया गया और सरवरी खातून के हिस्से को हड़पने के लिये गलत कार्यवाही अमल में लायी गयी यहां इस स्तर पर न्यायालय को केवल यही देखना है कि क्या सरवरी खातून मृतक शमसेर बहादुर की मृत्यु के उपरान्त उसकी विधिक उत्तराधिकारी हैं अथवा नहीं?

आवेदकगण द्वारा विपक्षी के अभिलेखों के संबध में केवल मौखिक तर्क किया है कि आवेदकगण की माँ सरवरी खातून का तलाक शमसेर बहादुर से नहीं हुआ था वह उनकी विधवा पत्नी है। अतः मृतक शमसेर बहादुर की विधिक उत्तराधिकारिणी है। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य से यह स्थापित करने का प्रयास किया गया कि सरवरी खातून का तलाक मृतक शमसेर बहादुर के जीवनकाल मे हो गया है अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के प्रकाश में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों का परिशीलन किया गया । कागज सं० ११ग न्यायालय अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट पंचम आजमगढ़ के मुकदमा नंबर ९८/९३ में प्रस्तुत प्रतिवादपत्र की सत्य प्रतिलिपि है जिसमें पृष्ठ सं०२ पर शमसेर बहादुर द्वारा कथन किया गया है कि सायला सबीना बानो की माँ सरवरी बानो को दिनांक १४–०१–९२ को तलाकर देकर अपनी जौजियत से अलहदा कर दिया है तथा उसका इदद्त खर्च,महर एवं सामान देहज आदि को अदा कर दिया है। कागज सं० १०ग१/२ मुकदमा नंबर ९८/९३सबीना बनाम शमशेर बहादुर के वादपत्र की सत्य प्रतिलिपि है जिसके पैरा नंबर ३ में सरवरी द्वारा कथन किया गया है कि एक साल पहले यानि १४ जनवरी १९९२ को पिता वादी मसूल अलेह शमशेर बहादुर ने मादर सायला मो०सरवरी को तलाक दे दिया और सायल की दो बहने और एक भाई को अपने पास रख लिया । कागज सं० १८ग फौजदारी वाद सं० ९८/१९९३ सबीना बनाम शमशेर बहादुर अन्तर्गत धारा १२५ जा०फौ०

के निर्णय दिनांकित १५–०९–१९९७ में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कु० सबीना द्वारा अपने पिता के विरूद्ध जरिये तलाकशुदा माता सरवरी द्वारा खान खर्चा वसूली के लिये धारा १२५ जा०फौ० का मुकदमा प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार विपक्षी द्वारा जो भी अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं उससे न केवल शमसेर बहादुर के कथन से सरवरी के तलाक की पुष्टि होती है बल्कि सरवरी के स्वंय के कथन से शमसेर बहादुर से तलाक की पुष्टि होती है। उक्त दोनो अभिलेख स्वीकृति की श्रेणी में आते हैं तथा साक्ष्य में ग्राह्य है। उक्त पूर्व कथनों का जो अभिलेखीय स्पष्ट,संरक्षित को केवल यह कहने मात्र से खण्डित नहीं माना जा सकता कि सरवरी बेगम का तलाक नहीं हुआ है। तलाक मुस्लिम विधि का वैयक्तिक कथन है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह भी मत है कि सरवरी बेगम का शमसेर बहादुर से तलाक होने के कारण वह शमसेर बहादुर की विधिक उत्तराधिकारी नहीं है। शेष समस्त विधिक उत्तराधिकारीगण का शेयर न्यायालय द्वारा सक्सेसन वाद सं० ३३५/२०१५ में गुणदोष पर निर्धारित किया जा चुका है । अतः प्रकीर्ण वाद संख्या ०१/१७ मो० शोएब आदि बनाम सैयदा खातून आदि निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकीर्ण वाद सं० ०१/२०१७ मो० शोएब आदि बनाम सैयदा खातून आदि निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार मूल पत्रावली के साथ संलग्न हो।

दिनांक–२२–०५–१९

सिविल जज (सी०डि०)
आजमगढ़।